भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2990

दिनांक 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत- संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार समझौता और इसके आर्थिक निहितार्थ

2990. श्री किशोरी लाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार समझौते के माध्यम से अमेरिका से आयात की जाने वाली मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत द्वारा अमेरिका से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जा रहे प्रशुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डेयरी और कृषि संबंधी वस्तुओं का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से किया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समझौते के माध्यम से भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारत से निर्यात की जा रही वस्तुओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे प्रशुल्क का ब्यौरा क्या है;

(च) इस समझौते के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात की जाने वाली वस्तुओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(छ) क्या किसान संघ ने प्रस्तावित समझौते पर आपत्तियां उठाई हैं, यदि हां, तो उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या भारत पर व्यापार समझौते के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ज) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) ने दिनांक 2 फरवरी 2026 को व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क की घोषणा की। इसके लिए एक संयुक्त वक्तव्य दिनांक 7 फरवरी 2026 को जारी किया गया। भारत ने सावधानीपूर्वक तैयार की गई अपवर्जन श्रेणी के माध्यम से अपने संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को पूरी तरह से संरक्षित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि चावल,

गेहूं, मुर्गी पालन, डेयरी, सोयामील, मक्का, बाजरा, मूंगफली, शहद, तंबाकू आदि जैसे प्रमुख उत्पादों पर समझौते में कोई टैरिफ रियायत प्रदान नहीं की गई है।

दिनांक 7 फरवरी 2026 को, रूस से तेल आयात करने के कारण भारत के कुछ निर्यातों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% अतिरिक्त यथा मूल्य प्रशुल्क हटा दिए गए। दिनांक 20 फरवरी 2026 के अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के पारस्परिक प्रशुल्कों को अमान्य घोषित करने वाले फैसले के अनुसार, पारस्परिक प्रशुल्क अब लागू नहीं हैं। अमेरिकी सरकार ने सभी देशों के लिए कुछ उत्पादों पर 10% प्रशुल्क लगाने के कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। सरकार इसके बाद के सभी घटनाक्रमों के प्रभावों का अध्ययन कर रही है और अमेरिकी सरकार के साथ नियोजित है।

अमेरिका समेत सभी देशों से भारत के आयात पर लागू उत्पाद-वार प्रशुल्क, ट्रेड कनेक्ट पोर्टल के अतंगर्त "टैरिफ एक्सप्लोरर" सेक्शन में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं:
https://www.trade.gov.in/apps/free-trade-agreements

******